



2026:AHC:21687

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट याचिका-सी संख्या - 1878 सन् 2026

मनमीत और 3 अन याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : आशुतोष कुमार गुप्ता, धर्मेन्द्र यादव, लक्ष्मी शंकर यादव, सुषमा कुमारी

प्रतिवादी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया,

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, निजी प्रतिवादी को नोटिस भेजकर इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी प्रतिवादी आदेश से असंतुष्ट महसूस करता है, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. याचिकाकर्ताओं ने यह याचिका इस प्रार्थना के साथ दायर की है कि प्रतिवादी संख्या 2- तहसीलदार, हाटा, जिला कुशीनगर को वाद संख्या 2521/2025, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या T202505440202521 का शीघ्र निर्णय करने का निर्देश दिया जाए।
4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के तहत दायर किया गया एक आवेदन लंबे समय से लंबित है। इस स्तर पर यह उचित और उपयुक्त होगा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) पर ध्यान देना, जिसमें यह अनिवार्य है कि ऐसा आवेदन दायर होने पर, संबंधित प्राधिकारी कानून के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर इसका निपटारा करने के लिए बाध्य होगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 का उप-नियम (7),

(7). तहसीलदार पंजीकरण की तिथि से 45 दिनों की अवधि के भीतर बिना विवाद वाले उत्परिवर्तन मामले का और 90 दिनों की अवधि के भीतर विवादित उत्परिवर्तन मामले का निर्णय करने का प्रयास

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



करेगा और यदि कार्यवाही इस अवधि के भीतर समाप्त नहीं होती है तो इसका कारण दर्ज किया जाएगा।

5. उक्त प्रावधान के आलोक में और साथ ही पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों के आलोक में, अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे उक्त आवेदन पर विचार करें और कानून के अनुसार, यथासंभव शीघ्रता से, और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से दो महीने के भीतर, इसके गुण-दोष के आधार पर इसका निपटारा करें, लेकिन जब तक कोई कानूनी बाधा न हो, अनावश्यक स्थगन न दें।

6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

7. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने प्रतिद्वंद्वी दलीलों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

30 जनवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी